DOWRY RELATED OFFENCES & THE DOWRY PROHIBITION ACT

1. *What is the definition of Dowry?*

Ans. "Dowry" means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly:–

a) by one party to a marriage to the other party to the marriage; or

b) by the parent of either party to a marriage or by any other person, to either party to the marriage or to any other person, at or before (or any time after the marriage) (in connection with the marriage of the said parties, but does not include) dower or *mahr* in the case of person to whom the Muslim Personal Law (*Shariat*) applies.

2. *What are the various offences and the punishment prescribed for such offences under Dowry Prohibition Act?*

Ans. Penalty for giving or taking dowry:

If any person, after the commencement of this Act, gives or takes or abets the giving or taking of dowry, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years, and with fine which shall not be less than fifteen thousand rupees or the amount of the value of such dowry, whichever is more;

Provided that the Court may, for adequate and special reasons to be recorded in the judgment, impose a sentence for imprisonment of a term of less than (five years).

3. *Whether a list of presents is required to be maintained under Dowry Prohibition Act and how is it prepared and what are its benefits?*

Ans. A list of presents which are given at the time of marriage to the bride is to be maintained by the bride and the list of presents which are given to the bride-groom is to be maintained by bride-groom. Every such list of presents is to be prepared at the time of the marriage or as soon as possible after the marriage. The list has to be in writing and it shall contain:-

दहेज निरोधक अधिनियम

प्रश्न दहेज की परिभाषा क्या है?

उतरः 'दहेज' का मतलब कोई सम्पति या मूल्यवान प्रतिभूति जो सीधे या परोक्ष रूप से दी गई है या देने का वचन किया गया हैः–

क– विवाह के एक पक्ष द्धारा विवाह के दूसरे पक्ष को, या

ख– किसी भी पक्ष के माता–पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्धारा, विवाह के किसी भी पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति को, विवाह के समय या पहले (या विवाह के बाद किसी भी समय) कथित पक्षों के विवाह के सम्बन्ध में। इसमें मुस्लिम व्यक्गित कानून (शरीयत) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति को देय डाबर या मेहर सम्मिलित नहीं हैं

प्रश्न दहेज निषेध अधिनियम के तहत विभिन्न अपराध तथा ऐसे अपराध के लिए सजा के प्रावधान क्या हैं?

उतरः दहेज देने या लेने के लिए सजाः–

अगर कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात्, दहेज देता है या लेता है या देने या लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो उस व्यक्ति को कारावास जिसकी सीमा 5 साल से कम नहीं होगी, तथा जुर्माना जो पन्द्रह हजार रूपये तक या ऐसे दहेज की कीमत, दोनों में से जो ज्यादा हो, की सजा होगी,

न्यायालय पर्याप्त तथा विशेष कारणों को निर्णय में वर्णित करते हुये 5 साल से कम की अवधि की सजा भी कर सकती हैं

प्रश्न क्या इस अधिनियम के तहत उपहारों की सूची बनाना आवश्यक है तथा यह कैसे तैयार की जाती है तथा इसके क्या लाभ हैं?

उतरः विवाह के समय दिये गये उपहारों की एक सूची जो वधू को दिये जाते हैं वधू को बनाकर रखनी होगी तथा वर को दिये गये उपहारों की सूची वर को बनाकर रखनी होगीं। इस प्रकार की प्रत्येक उपहारों की सूची विवाह के समय या विवाह के बाद जितनी जल्दी सम्भव हो तैयार की जानी चाहिए। सूची लिखित में होनी चाहिए तथा इसमें निम्नलिखित शामिल होगेंः–

i) a brief description of each present/gift;

ii) the approximate value of the present/gift;

iii) the name of the person who has given the present/gift; and

iv) where the person giving the present is related to the bride or bridegroom, a description of such relationship;

v) shall be signed by both the bride and the bridegroom.

Giving of presents to the bride or bride-groom is not an offence when they are given without any demand having been made in that behalf and when the presents are entered in the aforesaid list prepared under the rules and where the presents are of a customary nature and the value thereof is not excessive having regard to the financial status of the person by whom or on whose behalf such presents are given.

4. Whether the offences under this Act are non-bailable and non-compoundable?

Ans. Every offence under this Act is non-bailable and non-compoundable.

5. Whether permission of Magistrate is required before effecting arrest of person under this Act?

Ans. No person can be arrested under this Act without a warrant or without an order of the Magistrate.

6. What is dowry death and the punishment prescribed for said offence?

Ans. 1. Where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within seven years of her marriage and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for, or in connection with, any demand for dowry, such death shall be called" dowry death", and such husband or relative shall be deemed to have caused her death. Explanation. - For the purposes of this sub- section," dowry" shall have the same meaning as in section 2 of the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

क– प्रत्येक उपहार का संक्षेप में विवरण,

ख– उपहार की लगभग कीमत,

ग– व्यक्ति का नाम जिसनें उपहार दिया हो,

घ– उपहार देने वाला यदि वर या वधू का रिश्तेदार हो तो ऐसी रिश्तेदारी का विवरण,

ड– सूची पर वर और वधू दोनों के हस्ताक्षर होगें,

वर या वधू को दिये गये उपहार अपराध की परिधि में नहीं आते यदि वे इस सम्बन्ध में बिना किसी मांग के दिये गये हों, तथा ऐसे उपहार जब नियमों के तहत बनाई गई उपरोक्त सूची में शामिल किये गये हों, और जहॉ ऐसे उपहार पारम्परिक तौर पर हों तथा उनकी कीमत देने वाले या जिसकी तरफ से दिये जाते हैं, की आर्थिक स्थिति के अनुसार ज्यादा कीमत के ना हों

प्रश्न क्या इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध गैर–जमानती व गैर–शमनीय है?

उतरः इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक अपराध गैर–जमानती व गैर–शमनीय है।

प्रश्न इस अधिनियम के तहत व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले क्या न्यायधीश की अनुमति आवश्यक है?

उतरः कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत बिना वांरट या बिना न्यायधीश के आदेश के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न दहेज मृत्यु क्या है, और इस अपराध के लिए निर्धारित दंड क्या है?

उतरः जब कोई स्त्री की मृत्यु उसकी शादी के सात वर्ष के अन्दर–अन्दर, जलाने से व शारारिक चोंटे पहुंचाने व अन्य किसी असामान्य कारणों से घटित होनी पायी जाती है तथा यह दर्शाया जाता है कि उसे उसकी मृत्यु से शीघ्र पहले उसके पति अथवा उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता व उत्पीडन से प्रताड़ित किया गया था, दहेज के लिये अथवा दहेज की मांग के सम्बन्ध में, इस प्रकार की मृत्यु ''दहेज मृत्यु'' कहलाती है और वह पति व रिश्तेदार उसके हत्यारे समझे जायेंगे।

2. Whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than seven years but which may extend to imprisonment for life.

7. What is the definition of Cruelty under Section 498-A IPC and what is the punishment prescribed?

Ans. Under Section 498-A IPC:-

Whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

"Cruelty" means:-

a) Any willful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health whether mental or physical) of the woman; or

b) Harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand.

8. Who is competent to file a complaint for these offences?

Ans. Complaint under Section 498-A IPC can be filed by the person aggrieved by the offence or by her father, mother, brothers or sisters or with the leave of Court by any other person related to her by blood, marriage or adoption.

2. जो भी कोई दहेज के लिए मृत्यु का जिम्मेवार होगा उसे सात साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक सजा हो सकती है।

प्रश्न धारा 498–ए भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत क्रूरता की क्या परिभाषा है और उसमें क्या दंड निर्धारित किया गया है?

उतरः धारा 498–ए भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गतः–

किसी स्त्री का पति या उस पति का रिश्तेदार, जो उस स्त्री के साथ क्रूरता करते है तो उसे दण्ड में तीन साल तक की कारावास हो सकती है।

क्रूरता की परिभाषा –

क. कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण, जो कि इस प्रकार का हो जो कि स्त्री को आत्म हत्या के लिए प्रेरित करे गंभीर चोंटे पहुंचाये या उसके जीवन के लिए या अंग या स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करे (चाहे वह मानसिक अथवा शारारिक); या

ख. महिला का उत्पीडन, जो उसे या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति को मजबूर करने के उद्देश्य से दिया जाए ताकि वो किसी भी प्रकार की अवैध मांग, जैसे कि किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को पूरा करे। या वो उत्पीडन जो किसी महिला को इस लिए दिया जाए कि उसने या उसके किसी रिश्तेदार ने ऐसी अवैध मांग पूरी नहीं की है।

प्रश्न इन अपराधो के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सक्षम है ?

उतरः धारा 498–ए भारतीय दंड संहिता के अपराधों के लिए शिकायत, पीड़ित या उसके पिता, माता, भाई या बहन या न्यायालय की अनुमति से कोई भी व्यक्ति जिसका उससे खून से या शादी से अथवा दतक से रिश्ता हो, शिकायत दायर कर सकता है।